बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक........................../

पटना, दिनांक..........................

सं०सं०–02/उ०नि०/सी०एम०सी०डी०पी०–आवंटन–24/04/16

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत "सामान्य सुविधा केन्द्र" की स्थापना के लिए ₹ 3,00,000,00.00 (तीन करोड़ रूपये) मात्र की सहायक अनुदान के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत "सामान्य सुविधा केन्द्र" की स्थापना के लिए **₹ 3,00,000,00.00 (तीन करोड़ रूपये) मात्र** की सहायक अनुदान के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत राज्यस्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किये गये एवं भविष्य में स्वीकृत किये जाने वाले क्लस्टरों के लिये सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना कर विकसित किया जाएगा।

(3) उक्त योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प सं0–4773, दिनांक–28.10.13 द्वारा निर्गत मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत "सामान्य सुविधा केन्द्र" की स्थापना हेतु दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार सुनिश्चित की जायगी।

(4) प्रस्तावित राशि का व्यय मांग संख्या–23, बजटशीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–104 हस्तशिल्प उद्योग, उपशीर्ष 0101–हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड 23-2851001040101, विषय शीर्ष 0101.31.05, सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से प्रथम अनुपूरक आगणन से उपबन्धित **₹ 3,00,000,00.00 (तीन करोड़ रूपये) मात्र से** विकलनीय होगा, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

(5) उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से फार्म सं0–बी0टी0सी0–46 पर कर राशि उद्योग मित्र, बिहार, पटना के नया पी0एल0 खाता सं0–PBBPLA018 (पुराना पी0एल0 खाता सं0–277) में CFMS के माध्यम से हस्तान्तरित करेंगे।

(6) उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के निदेश के आलोक में राशि का व्यय किया जायेगा।

(7) योजना के नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

(8) पी0एल0 खाता धारी पी0एल0 खाता का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memorandum) तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ विधिवत महालेखाकार कार्यालय को ससमय भेजना सुनिश्चित करेगी।

क्रमशः पृष्ट–02 पर..

(9) राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 वि0 दिनांक–20.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप की जाएगी।

(10) प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–*सं०सं०–02/उ०नि०/सी०एम०सी०डी०पी०–आवंटन–24/04/16* के **पृष्ठ**–114/टि0 पर दिनांक–30.01.2026 प्राप्त है।

(11) प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या–*02/उ०नि०/सी०एम०सी०डी०पी०–आवंटन–24/04/16* के **पृष्ठ**– 113/टि0 पर दिनांक–29.01.2026 को प्राप्त है।

(12) वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना,दिनांक..........................
सं०सं०–02/उ०नि०/सी०एम०सी०डी०पी०–आवंटन–24/04/16

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना,दिनांक..........................
सं०सं०–02/उ०नि०/सी०एम०सी०डी०पी०–आवंटन–24/04/16

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक.......400......./ पटना,दिनांक.....02-02-26
सं०सं०–02/उ०नि०/सी०एम०सी०डी०पी०–आवंटन–24/04/16

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/आय–व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–09, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा–1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/02/26
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।